



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 651 राँची, मंगलवार,

15 अक्टूबर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

9 सितम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-49/2023 का. 5749--श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी एवं श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी की सांविदिक अवधि की समाप्ति के फलस्वरूप उनके पास लंबित झा०प्र०से० के कुल 19 (उन्नीस) पदाधिकारियों के विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख/संचिका विभाग को वापस कर दिया गया है। तदनुसार उक्त विभागीय जाँच पदाधिकारियों से प्राप्त निम्नवत् 19 (उन्नीस) विभागीय कार्यवाही अभिलेखों/संचिकाओं में जाँच हेतु श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं उक्त सभी मामले से संबंधित अभिलेख/मूल अभिलेख उन्हें अंतरित किया जाता है :-

क्र० सं०	विभागीय संकल्प/ पत्रांक सं०	आरोपित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अभियुक्ति
1	संकल्प सं०-2111 (HRMS) दिनांक- 06.05.2022	श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-138/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इटकी, राँची।	मूल संचिका/अभिलेख
2	संकल्प सं०- 18756 (HRMS) दिनांक- 28.12.2022	श्री रवि किशोर राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची।	मूल संचिका/अभिलेख
3	संकल्प सं०-19428 (HRMS) दिनांक- 04.03.2023	श्री जयवर्द्धन कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 71/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हंटरगंज, चतरा।	मूल संचिका/अभिलेख
4	संकल्प सं०- 19425 (HRMS) दिनांक- 04.03.2023	डॉ० सुदेश कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 415/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह।	मूल संचिका/अभिलेख
5	संकल्प सं०- 19436 (HRMS) दिनांक- 06.03.2023	श्री दिलीप कुमार महतो, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 151/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी- सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुमका।	मूल संचिका/अभिलेख
6	संकल्प सं०-21867 (HRMS) दिनांक- 27.06.2023	श्री महेश्वर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 111/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी जमशेदपुर।	मूल संचिका/ अभिलेख
7	संकल्प सं०-21835 (HRMS) दिनांक- 26.06.2023	श्री तेज कुमार हस्सा, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 294/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भंडरा, लोहरदग्गा।	मूल संचिका/ अभिलेख
8	संकल्प सं०- 24027(HRMS) दिनांक-12.09.2023	मो० परवेज, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 231/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गढ़वा।	मूल संचिका/ अभिलेख
9	संकल्प सं०- 25465(HRMS) दिनांक-20.12.2023	श्री पवन कुमार महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 204/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला, रामगढ़।	मूल अभिलेख/ आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयान।
10	संकल्प सं०- 4228(अनु०) दिनांक- 25.07.2023	श्री जय प्रकाश झा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 580/03), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार।	मूल संचिका/ अभिलेख

11	संकल्प सं०- 4385(अनु0) दिनांक- 29.07.2023	श्री शारदा नन्द देव, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 586/03), तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, लातेहार।	मूल संचिका/अभिलेख
12	संकल्प सं०- 24028(HRMS) दिनांक-12.09.2023	श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 138/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू।	मूल संचिका/अभिलेख
13	संकल्प सं०- 24301(HRMS) दिनांक-26.09.2023	श्री रोहित सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 153/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खलारी, राँची।	मूल संचिका/ अभिलेख
14	संकल्प सं०- 18695(HRMS) दिनांक-31.01.2023	श्री सौरभ प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 28/20), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची।	मूल संचिका/ अभिलेख
15	संकल्प सं०- 24298(HRMS) दिनांक-05.10.2023	श्री जीत राय मूर्मू झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 283/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाण्डू, पलामू।	मूल संचिका/ अभिलेख
16	संकल्प सं०- 6027(अनु0) दिनांक- 29.07.2023	श्री उमा शंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 588/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, देवघर	अभिलेख
17	संकल्प सं०- 8430(HRMS) दिनांक- 12.01.2024	श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर, राँची।	मूल संचिका/ अभिलेख
18	संकल्प सं०- 24892(HRMS) दिनांक- 07.11.2023	श्री लियाकत अली, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 796/03), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़।	मूल अभिलेख
19	संकल्प सं०-1654 (अनु0) दिनांक- 04.03.2024	श्री पारितोष कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 726/03), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज।	मूल अभिलेख/ बचाव बयान

2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
